राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018

क्रमांकः प.15(5)RSSB/नियम/की–वेलिडेशन/प्रेस नोट/2025/ दिनांकः As per e-sign

-:: प्रेस–नोट ::-

बोर्ड द्वारा दिनांक 19.09.2025 से दिनांक 21.09.2025 तक आयोजित चतुर्थ श्रेणी ग्रेड–IV सीधी भर्ती परीक्षा–2024 (परीक्षा कोड-**DS22, A23Z, 1XY2, DB29, 56HH, & JK1**) पद हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारम्भिक उत्तर कुंजियॉ बोर्ड की वेबसाइट **www.rssb.rajasthan.gov.in** पर जारी कर दी गयी हैं। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी/किन्हीं प्रश्न अथवा इसके/इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ **दिनांक 06.12.2025** समय **00:01 बजे (मध्य रात्रि)** से **दिनांक 08.12.2025** समय **23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक** अपनी ऑनलाईन आपत्ति बोर्ड की वेबसाईट पर दर्ज करवा सकते हैं।

परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग–अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराये गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग–अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिये गये विकल्पों का क्रम भी अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। **अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गये मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियाँ दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें।**

बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रू. 100/- निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेब साईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO आई.डी. के माध्यम से देय शुल्क ई–मित्र पेमेन्ट गेट–वे या ई–मित्र कियोस्क पर, जितने प्रश्नों पर आपत्तियाँ करनी है, उसके अनुसार प्रति प्रश्न रू 100/- की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई–मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जावेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेंगी। ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक केवल **दिनांक 06.12.2025** समय **00:01 बजे (मध्य रात्रि)** से **दिनांक 08.12.2025** समय **23:59 बजे (मध्य रात्रि) तक** ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।** आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जायेगी।

परीक्षार्थियों के सुविधा एवं समय की बचत करने के लिए अभ्यर्थी के एसएसओ आईडी पर question objection सेक्शन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर एवं NCERT की कक्षा 6 से 10 की कुछ पुस्तको की सूची सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध करायी गयी है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति के साक्ष्य इन पुस्तकों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी उक्त पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष एवं पृष्ठ संख्या ड्राप डाउन मैन्यू में से Select कर अंकित कर सकेगें। **उन्हे पृथक से साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नही होगी।** परन्तु ध्यान रहे कि उक्त सूची सम्पूर्ण (EXHAUSTIVE) नही है। इनके अतिरिक्त NCERT एवं RBSE इत्यादि की अन्य मानक पुस्तकें भी हो सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सूची में उल्लेखित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक (NCERT/RBSE/OTHERS) से साक्ष्य संलग्न करना है तो Name of Publisher/Board **आप्शन** में 'Others' वाला विकल्प Select कर पूर्व उल्लेखित तरीके से साक्ष्य अपलोड किया जा सकेगा।

पुस्तकों के नाम हिन्दी संस्करण को ध्यान में रखते हुए दिये गये है, अभ्यर्थियों द्वारा हिन्दी संस्करण से भिन्न भाषा की पुस्तक सन्दर्भित किये जाने की स्थिति में Name of Publisher/Board **आप्शन में others का चयन कर आगे बढना होगा। others ऑप्शन का प्रयोग करने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज अपलोड करने में ध्यान रखें कि –**

1. आपत्तियों के लिये केवल Standard, Authentic पुस्तकों के प्रमाण ही संलग्न करें।
2. पेपर साइज A4 हो
3. फाईल टाईप पीडीएफ जो पासवर्ड प्रोटेक्ट नही हो व पढे जाने योग्य हो
4. ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना
   - रोल नम्बर
   - परीक्षा की दिनांक व शिफ्ट
   - सम्बन्धित प्रश्न की क्रम संख्या
   - पुस्तक का नाम, लेखक/लेखकों के नाम,
   - प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या सुपाठ्य अक्षरो में लिखकर ही अपलोड करे।

वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कन्टेन्ट (Original Text) **में कूटरचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध बोर्ड के विनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी।**

परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफण्ड नहीं होगा। अतः वे आवश्यकतानुसार देय शुल्क ही जमा करावें।

सचिव

क्रमांकःप.15(5)RSSB/नियम/की-वेलिडेशन/प्रेस नोट/2025/ दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है। कृपया इसका राज्य में प्रकाशित होने वाले निम्नांकित समाचार पत्रों के नवीनतम संस्करण में निःशुल्क प्रकाशन करावें :–
   1. राजस्थान पत्रिका 2. दैनिक नवज्योति 3.दैनिक भास्कर
2. प्रभारी अधिकारी, IT Cell, RSSB को प्रेस नोट एवं विज्ञप्ति प्रेषित कर लेख है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करे साथ ही ऑनलाइन आपत्तियाँ प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक के शीघ्र बाद प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों की प्रति सॉफ्ट कॉपी तथा संलग्न दस्तावेजों को प्रश्नवार नियम अनुभाग, RSSB में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Preeti Mathur
Designation : Secretary
Date: 2025.12.02 18:32:21 IST
Reason: Approved

सचिव

RajKaj Ref No.: 19165854